


17-5-24

No. Inst. No. 17

2

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अधिवक्ताओं वकील वादी ने दिनांक 19-3-21 को बताया कि वादी की मृत्यु हो गयी है उसके बाद भी वकील वादी ने वादी के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र आज तक पेश नहीं किया ऐसी स्थिति में वाद पत्र अबेट हो चुका है। एवं वकील वादी ने वादी की ओर से No. Inst. No. किया है। अतः वादी को वाद पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर मन्वर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल गिला भीलवाड़ा

